

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

फैक्स/ई-मेल

पटना, दिनांक 13/6/2018

संख्या-3/विविध-01-14/2014- 412(3)/स्वा0, डा0 सत्येन्द्र कुमार चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी-सह-प्रभारी अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 84 के तहत अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया के पद का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

2. अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया के नियमित पदस्थापन होने के बाद यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

3. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/-

(जगदीश कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-3/विविध-01-14/2014- 412(3) स्वा0, पटना, दिनांक 13/6/2018
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/ जिलाधिकारी, गया/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मगध प्रमंडल, गया/सिविल सर्जन, गया/डा0 सत्येन्द्र कुमार चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी-सह-प्रभारी अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 3, 7, 8, 9,10 एवं 12/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी